भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय [मध्य क्षेत्र]

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सेक्टर एच, अशोक नगर,
लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-0522-2326098

दिनांक: 22.07.2010

1715
22.11.

1. मुख्य सचिव (वन),
राजस्व सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला बारां में संपर्क सड़क पाटरी से भटगांव के निर्माण हेतु 1.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

3. अति0 प्रधान उप सचिव, राजस्थान सरकार,राजस्थान का पत्रांक प01(136)वन/07, दिनांक: 07.01.2008

महोदय संबंधित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा निम्नांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति चाही गई है ।

उपरोक्त प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.07.2008 के द्वारा अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसमें उल्लिखित सूचनाओं की अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 14( )वसु/प्रगुवसं/2542, दिनांक: 14.05.2010 द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त सन्दर्भित प्राप्त की गयी सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारां में संपर्क सड़क पाटरी से भटगांव के निर्माण हेतु 1.50 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रकरण अधिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अर्थात 3.0 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। तथा इसे छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के करने पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रकरण अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 एफ0एन0. 5-3/2007/एफ0सी दिनांक 05.02.2009 दिशानिर्देश में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। अतः दुगुने अवनत वनभूमि अर्थात 3.0 हे0 पर दण्डात्मक वृक्षारोपण एवं 5 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) याचक विभाग द्वारा जमा की जायेगी। दण्डात्मक वृक्षारोपण की योजना रूपरेखा एवं भूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी प्रेषित करें।
4. इस सम्बन्ध में पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी राशि क्षतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के सदर्भ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0-1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रकरण अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा किया जायेगा।
6. लम्बित वन क्षेत्र को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं रेखा पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही वैधिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी
7. प्रकरण अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,
(वाई0 के0 सिंह) 22.07.10
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

निम्न एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति0 वनमहानिदेशक (एफ.सी)., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडिल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. फील्ड वनाधिकारी बारां, राजस्थान।
4. अधिशासी अभियन्ता, सामाजिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, बॉरा, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली ।

(वाई0 के0 सिंह चौहान) 22/7/2010
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Scanned by CamScanner